

3/2/20. वकील प्राची ने एक प्रार्थना पत्र वाद विरोध करने का प्रस्ताव पेश हुई।

वकील प्राची मैथवादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वह इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं वादी का वाद को इसी स्टेज पर विद्रो करना चाहते हैं।

वादी का प्रार्थना पत्र अतीकार किया जाता है वादी वाद जारी रखे विद्रो रत्ना रिज किया जाता है।

पत्रावली के अंश लक्ष्य शुमार होकर तारिखल दफ्तर हो। ४

ए. न. १
श्री श्री
T. K. 100

